



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092025-266249
CG-DL-E-19092025-266249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4107]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2025/भाद्र 27, 1947

No. 4107]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025/BHADRA 27, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

का.आ. 4224(अ).— भारत सरकार को लोकहित में यह प्रतीत होता है कि दहेज मैनुफैक्चरिंग डिविजन (गुजरात) से पर्वत तक, जहां इसे डी.एन.इ.पी.एल. का मौजूदा पाइपलाइन सुविधाओं के साथ जोड़ा जाएगा, जो आर.आई.एल.— हजीरा मेन्युफैक्चरिंग डिविजन से जुड़ेगी, तरल ईथेन के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस ईथेन पाइपलाइन लिमिटेड को दहेज—पर्वत ईथेन पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और, भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः, अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री बी. एस. दवे, सक्षम प्राधिकारी, रिलायंस एथेन पाइपलाइन लिमिटेड — डीपीइपीएल प्रोजेक्ट, ए—विंग, तीसरी मंजिल, श्रीजी आर्कड, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत — 395009, गुजरात राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

तालुका : वागरा	जिला : भरुच	राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वे सं०/सब डिविजन सं०	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग.मी.
1	2	3	4	5
1' सुवा	33	00	01	60
2' जोलवा	293	00	04	80
तालुका : हांसोट	जिला : भरुच	राज्य : गुजरात		
1' शेरा	442	00	25	59

[फा. सं. एल.-14014-3-2025-जी.पी.-II (ई-52145)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

S.O. 4224(E).— Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of Liquid Ethane from Dahej Manufacturing Division in Gujarat to Parvat, where it will be hooked-up with the existing pipeline facilities of DNEPL, interconnecting with RIL-Hazira Manufacturing Division should be laid by M/s Reliance Ethane Pipeline Limited;

And whereas, it appears to Government of India that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed here to;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the Right of User therein for laying the said pipeline under the land to Shri B. S. Dave, Competent Authority, Reliance Ethane Pipeline Limited – DPEPL Project, A-Wing, 3rd Floor, Shreeji Arcade, Anand Mahal Road, Adajan, Surat-395009, Gujarat State.

SCHEDULE

Taluka: VAGRA	District: BHARUCH	State: GUJARAT		
Name of Village	Survey No./Sub-Division No.	Area to be acquired for ROU		
		Hec	Are	Sq.m.
1	2	3	4	5
1) Suva	33	00	01	60
2) Jolwa	293	00	04	80
Taluka: HANSOT	District: BHARUCH	State: GUJARAT		
1) Shera	442	00	25	59

[F. No. L-14014/3/2025-GP-II(E:52145)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.